

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09062022-236427
SG-DL-E-09062022-236427असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]	दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2022/ज्येष्ठ 18, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 127
No. 324]	DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2022/JYAISTHA 18, 1944	[N. C. T. D. No. 127

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह-III विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जून, 2022

सं0फा0 31/118/2021/गृह -III/2500.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59—हिम (i) के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रयोगशाला सहायक (साइबर फोरेंसिक) के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

(i) इन नियमों को प्रयोगशाला सहायक (साइबर फोरेंसिक) विधि विज्ञान प्रयोगशाला भर्ती नियमावली, 2022 कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (02) से (04) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :— वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकता है।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां यदि सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकता है।

6. बचाव :— इन नियमों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये प्रदान किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	प्रयोगशाला सहायक (साइबर फोरेंसिक)
2.	पदों की संख्या	:	24* (2022) * (परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर)
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय,
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	स्तर — 4 (रुपये 25,500—81,100 /—)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18—25 वर्ष के बीच* *यदि पद अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाएंगे तो, आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिये अधिकतम आयु—सीमा में 40 वर्ष तक की छूट होगी।) टीप : आयु—सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य :— भौतिकी या कंप्यूटर विज्ञान या गणित विषय के साथ स्नातक की उपाधि व पाठ्यक्रम के दौरान कम से कम 2 वर्षों तक एक विषय के रूप में पढ़ा हो अथवा कंप्यूटर अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) में स्नातक की उपाधि। या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से (कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर अभियांत्रिकी/सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स) में तीन वर्ष का डिप्लोमा। वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता के साथ भौतिकी / साइबर सुरक्षा में निष्णात उपाधि। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर अभियांत्रिकी/सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी में बी0ई0/बी0टेक0।

8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	दो वर्ष टीप : अनिवार्य आरंभिक प्रशिक्षण की कम से कम दो सप्ताह की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण की हो अथवा संवर्ग प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित आवश्यक परीवीक्षा अवधि को पूर्ण करेगा।
10.	भर्ती की पद्धति	:	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो इसकी संरचना क्या है।	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (i) प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा) – अध्यक्ष (ii) संबंधित विभागाध्यक्ष – सदस्य (iii) उप-सचिव (वित्त) –सदस्य टीप : यदि अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के अन्य सदस्य से कनिष्ठ है तो विभागीय स्थायीकरण समिति का सबसे वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
शैलेश कुमार, उप-सचिव (गृह)

HOME-III DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th June, 2022

No. F. 31/118/2021/HOME-III/2500.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification no. F-27/59-him (i) dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post **Laboratory Assistant (Cyber Forensic)** in Forensic Science Laboratory, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement –

- These rules may be called the **Laboratory Assistant (Cyber Forensic)** Forensic Science Laboratory Recruitment Rules, 2022.
- They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix – The number of the said post, its classification and pay level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc:- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification:- No person,

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Level of the Pay Matrix	Whether Selection post or Non Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Laboratory Assistant (Cyber Forensic)	24* (2022) * (subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Non-Gazetted, Non-Ministerial, Group-C	Level- 4 (Rs. 25500-81100/-)	Not applicable	Between 18 years and 25 years * * In case of post being filled up by all-India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date of	Essential: Bachelor degree with Physics or Computer Science or Mathematics as one of the subject at least two years during the course or Bachelor in Computer Application. OR Three years Diploma in (Computer Science/ Computer Engineering/ IT/ Electronics & Communication Engineering/ Electronics) from a recognized board/university.

					determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority.	Desirable: Master degree in Computer Science / Computer Application /Information Technology/ Physics with specialization in Electronics /Cyber Security from a recognized university/institute; OR B. E / B. Tech. in Computer Engineering / Information Technology / Electronics & Communication Engineering / Electronics & Electricals Engineering from a recognized university/institute.
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment,	In case of recruitment by Promotion / Deputation / transfer grade from which promotion / deputation /transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years Note:- Successful completion of mandatory	100% direct recruitment	Not applicable	Group “C” Departmental Confirmation Committee (i) Pr. Secretary/Secretary	Not applicable.

	Induction Training of at least 2 weeks duration or as prescribed by the Cadre Authority shall be a Pre-requisite for completion of probation.			(Power) - Chairperson (ii) Head of the Department concerned – Member (iii) Dy. Secretary (Finance) - Member Note:- Senior most member of the departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson In case notified Chairperson happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.	
--	---	--	--	---	--

By Order and in the Name of the
 Lt. Governor of the National
 Capital Territory of Delhi,
 SHALESH KUMAR, Dy. Secy. (Home)